

1038-
विक्रय-पत्र

मालियत विक्रय पत्र : रु. 6,20,000/-

बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया गया : रु. 7,70,000/-

स्टाम्प शीट की संख्या : 11

स्टाम्प शुल्क : रु. 77,000/- आवास विकास शुल्क सहित कुल स्टाम्प का योग 77,000/-

मैं कि रामगोयल पुत्र श्री हरबंश लाल गोयल, निवासी- 104/41, देहरादून मार्ग, ऋषिकेश जिला देहरादून का हूँ।

.....विक्रेता

निम्नलिखित सम्पत्ति वाकै : दो गोदाम जो खसरा सं. 96 का भाग है तथा सम्पत्ति सं. 10/17, घाट रोड, ऋषिकेश जिला देहरादून का भाग है, क्षेत्रफल 830.25 वर्गफीट यानि 77.16 वर्गमी०, जिसका प्राईवेट नं. गोदाम सं. 6 एवं 7 है जो कि प्रथमतः पर निर्मित है, और मेरी यह सम्पत्ति हर प्रकार के भार व रहन से मुक्त है, उसको बदस्त श्री अशोक कुमार भाटिया पुत्र स्व० जमन लाल भाटिया एवं श्रीमती इन्दरा रानी पत्नी श्री अशोक कुमार भाटिया, निवासीगण- 240, आवास विकास कालोनी, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश जिला देहरादून, को विक्रय कर दिया है।

विक्रय मूल्य : रु. 6,20,000/- लेखानुसार प्राप्त कर लिये हैं।

विवरण सम्पत्ति : सम्पत्ति का विवरण विक्रय-पत्र के अंत में दिया जा रहा है।


Anshu Rani



22 APR 2003

चौकिस (विशेष)

02CC 806182

-2-

विक्रय-पत्र

पक्षकारों की फोटोएं श्री रतनमणि नौटियाल, एडवोकेट द्वारा प्रमाणित हैं।
स्टाम्प शुल्क : रु. 77,000/- आवास विकास शुल्क सहित योग रु.
77,000/-

किस्म दस्तावेज : विक्रयपत्र।

विक्रय मूल्य : रु. 6,20,000/-

बाजारी मूल्य : रु. 7,70,000/-

स्टाम्प शीटों की संख्या : 11 हैं।

विक्रित सम्पत्ति का क्षेत्रफल 830.25 वर्गफीट यानि 77.16 वर्गमी० है।

विक्रित सम्पत्ति घाटमार्ग, ऋषिकेश में स्थित है।

विक्रित सम्पत्ति नगरपालिका सीमा के अन्दर स्थित है।

विक्रित सम्पत्ति आवास विकास परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है।

विक्रित सम्पत्ति औद्योगिक बस्ती में नहीं है।

विक्रेता किसी अनुसूचित जाति या जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

विक्रित सम्पत्ति गंगानदी से 200 मीटर की परिधि से बाहर है।

विक्रित सम्पत्ति एक गोदाम है तथा प्रथमतः पर स्थित है।

विक्रित सम्पत्ति के बावत क्रेता व विक्रेता के बीच कोई इकरारनामा पंजीकृत नहीं हुआ है।

.....3



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Indira Rani



22 APR 2003

अधिकार (देहरादून)

02CC 806181

-3-

घाट रोड पर गोदाम का सर्किल रेट रु. 2.50 प्रति वर्गफीट किराया x 830.25 वर्गफीट x 300 है तथा जमीन का सर्किल रेट व्यवसायिक का 3000/- रु. प्रति वर्गमी० है। इसी सर्किल रेट के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

विक्रित गोदाम का मानचित्र संलग्न है।

मैं कि रामगोयल पुत्र श्री हरबंश लाल गोयल, निवासी- 104/41, देहरादून मार्ग, ऋषिकेश जिला देहरादून का हूँ।

.....विक्रेता

....4

Indira Loni



-4-

जो कि विक्रेता सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय पत्र के आगे अंकित किया जा रहा है, के मालिक, काबिज व स्वामी हैं। इसमें विक्रेता के अलावा अन्य कोई साझी, भागीदार नहीं है। विक्रित सम्पत्ति प्रत्येक प्रकार के भार-बंधन, ऋण, कुर्की, जमानत आदि से मुक्त एवं बिल्कुल पाक व साफ दशा में है। विक्रित सम्पत्ति नगरपालिका परिषद के अभिलेखों में विक्रेता के नाम अंकित चली आ रही है तथा विक्रेता को अपनी निम्न वर्णित सम्पत्ति को प्रत्येक प्रकार से विक्रय व हस्तान्तरण आदि करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

....5

Anshu Rani



-5-

विक्रेता ने निम्न वर्णित सम्पत्ति द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र श्री प्रह्लाद सिंह त्यागी पुत्र श्री रामचन्द्र त्यागी से क्रय की थी, जो कि उप निबन्धक कार्यालय ऋषिकेश जिला देहरादून में बही नं.1, जिल्द नं.1, पृष्ठ 314, ए.डी. फा. बुक नं.1, जिल्द नं. 134, पृष्ठ 115-156 में नं. 1950 पर दि. 31.8.2001 को दर्ज है। क्रय की तिथि से विक्रित सम्पत्ति पर विक्रेता का बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है। विक्रेता ने उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.8.2001 में अंकित सम्पत्ति को तोड़कर उस पर नवनिर्मित काम्प्लैक्स का निर्माण किया है। यह कि उक्त काम्प्लैक्स के निर्माण के लिये विक्रेता ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण के नियमानुसार आदेश सं. 104 दिनांक 2.2.2002 व शमन आदेश सं. 36 दिनांक 20.8.2002 के द्वारा मानचित्र स्वीकृत है। तत्पश्चात् विक्रेता ने गोदामों व दुकानों का दो मंजिला निर्माण कराया, जिसमें से विक्रित सम्पत्ति का प्राईवेट नं. गोदाम सं.6 एवं 7 है, जो कि प्रथमतः पर निर्मित है।

Anshu Ravi

....6



21 APR 2003

पंजीकृत (विशेष)

-6-

यह कि विक्रेता ने अपनी निम्न वर्णित सम्पत्ति को विक्रय करने की बातचीत मु० 6,20,000/- (छह लाख बीस हजार रुपये मात्र) में क्रेता श्री अशोक कुमार भाटिया पुत्र स्व० जमन लाल भाटिया एवं श्रीमती इन्दरा रानी पत्नी श्री अशोक कुमार भाटिया, निवासीगण- 240, आवास विकास कालोनी, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश जिला देहरादून से की हुई है और इसी प्रतिज्ञापूति में यह विक्रयपत्र सम्पन्न किया जाता है।

Indira Rani

....7



-7-

यह कि अब विक्रेता ने अपनी निम्न वर्णित सम्पत्ति/गोदाम अपनी प्रसन्नता से, बिना किसी के सिखलाये, बहकाये वरन् अपनी स्वेच्छा से स्वस्थ मस्तिष्क व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने समस्त अधिकार, स्वामित्व, निकास हवा, पानी, रोशनी, रास्ता आदि-आदि सहित जो भी विक्रेता को आज दिन तक प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त होने संभव हैं, वह सबके सब मु० 6,20,000/- (छह लाख बीस हजार रुपये) में क्रेता श्री अशोक कुमार भाटिया एवं श्रीमती इन्दरा रानी को कतई विक्रय कर दिये हैं तथा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य विक्रेता ने क्रेता से निम्नानुसार प्राप्त कर लिया है :-

1. मु० 4,50,000/- रुपये बैंक द्वारा
2. मु० 1,70,000/- नकद

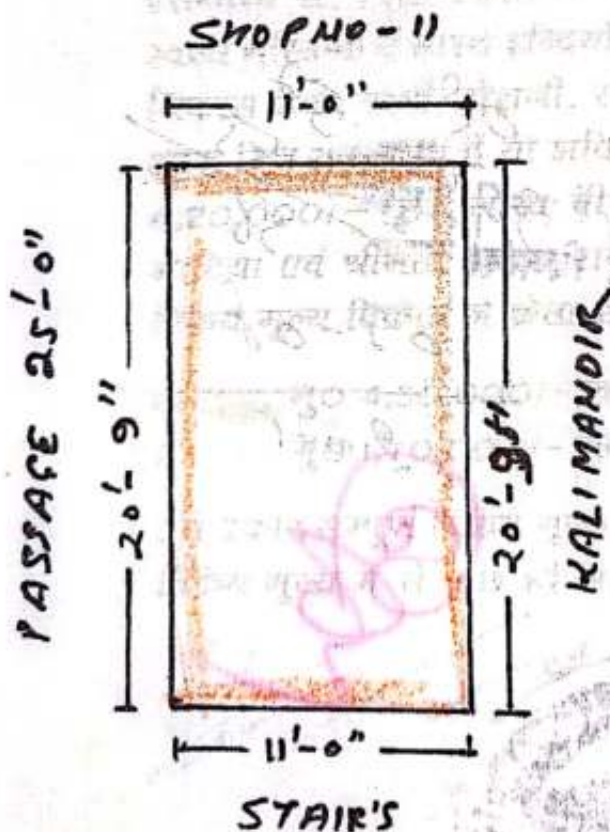
इस प्रकार सम्पूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त कर लिया है, जो कि अब भी स्वीकार है। विक्रय मूल्य में से कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है।

श्रीमती इन्दरा रानी8

TOTAL COVERED AREA OF SHOP 21.21 M²
PVT. SHOP NO - 10 - GROUND FLOOR
PROPERTY NO - 10/17 CHAT ROAD RISHIKESH

SOLD BY: SHRI RAM GOYAL S/O HARBANCE LAL
GOYAL 109/41 DEHRADUN ROAD
RISHIKESH

SOLD TO: SHRIMATI INDRA RANI W/O SHRI
ASHOK KUMAR BHATIYA NIWASI
240 AVAS VIKAS COLONY RISHIKESH
COVERED IS SHOWN RED COLOUR



SIG SELLER

SIG PURCHASER

DR BY

Gen
22/07/05



-8-

यह कि विक्रित सम्पत्ति से विक्रेता ने अपना कब्जा व दखल मालिकाना प्रत्येक प्रकार से उठाकर व हटाकर मौके पर आज की तिथि में क्रेता का कब्जा करा दिया है।

यह कि आज से क्रेता विक्रेता के समान विक्रित सम्पत्ति के मालिक, काविज व स्वामी हो गये हैं।

यह कि जिस दिशा में विक्रित सम्पत्ति से लगी हुई विक्रेता की अन्य निर्मित सम्पत्ति है, उसी दिशा में दीवार संयुक्त रहेगी। विक्रेता द्वारा बनाये गये काम्प्लैक्स में पार्किंग व खुला भाग है तथा आने-जाने हेतु मार्ग निर्मित है, जिसका प्रयोग संयुक्त रूप से क्रेता व विक्रेता तथा उनके उत्तराधिकारी करने के अधिकारी होंगे। परन्तु कोई भी पक्ष इसमें किसी भी प्रकार का स्थाई या अस्थायी निर्माण नहीं कर सकेंगे और न ऐसा कोई कार्य कर सकेंगे जिससे मार्ग के उपयोग में बाधा पहुंचती हो।

.....9
Anshu Rani



-9-

यह कि क्रेता द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जिससे फर्श व छत की सम्मिलित दीवारों, मार्गों व जीना आदि को क्षति पहुंचे तथा आने-जाने में किसी को भी बाधा पहुंचे।

यह कि गोदाम की छत भी क्रेता को विक्रय की गयी है तथा छत पर क्रेता का पूर्ण अधिकार रहेगा। छत का उपयोग क्रेता जिस प्रकार चाहें प्रयोग करने के अधिकारी होंगे। विक्रेता को इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि क्रेता को अधिकार होगा कि वह विक्रित सम्पत्ति को जिस प्रकार चाहे अपने उपयोग व उपभोग में लावे, उस पर व्यवसाय करें, विक्रय व हस्तान्तरण आदि करे, विक्रेता व उनके वारिसान को कभी कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी।

Indira Rani

....10



जननिर्वाह कार्यालय
23 APR 2003
हविकेस (दिल्ली)

-10-

यह कि अब विक्रेता व उनके वारिसान का अब इस निम्न वर्णित सम्पत्ति से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं रहा है और ना ही भविष्य में किसी प्रकार का कोई वास्ता रहेगा।

यह कि आज तक के समस्त कर व अन्य देय जो भी विक्रित सम्पत्ति पर होंगे, उन सबके भुगतान करने की जिम्मेदारी व देनदारी विक्रेता की होगी, आइन्दा क्रेता की होगी।

यह कि क्रेता को अधिकार होगा कि वह नगरपालिका परिषद के अभिलेखों से विक्रेता का नाम खारिज करवाकर विक्रित सम्पत्ति पर अपना नाम बतौर स्वामी अंकित करवा लेवे। यदि क्रेता के स्वामित्व पुष्टि हेतु कोई लेख या बयान देने की आवश्यकता हुई तो वह लेख व बयान देने के लिये विक्रेता व उनके वारिसान बाध्य होंगे।

Anshu Ravi

.....



-11-

इस विक्रय पत्र में प्रयुक्त शब्द क्रेता व विक्रेता में दोनों पक्ष व उनके अपने-अपने उत्तराधिकारी, स्थानापन्न, हितप्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं व रहेंगे और वह भी पक्षों के समान ही इस विक्रयपत्र की सदैव पालना करेंगे।

विवरण विक्रित सम्पत्ति

दो गोदाम जो खसरा सं. 96 का भाग है तथा सम्पत्ति सं. 10/17, घाट रोड, ऋषिकेश जिला देहरादून का भाग है, क्षेत्रफल 830.25 वर्गफीट यानि 77.16 वर्गमी०, जिसका प्राईवेट नं. गोदाम सं.6 एवं 7 है जो कि प्रथमतः पर निर्मित है, जिसकी सीमाएँ निम्न प्रकार है :-

- पूरब में - सम्पत्ति श्री भरत मंदिर
- पश्चिम में- सम्पत्ति विक्रेता
- उत्तर में - सम्पत्ति नाभा हाउस
- दक्षिण में- काली मंदिर

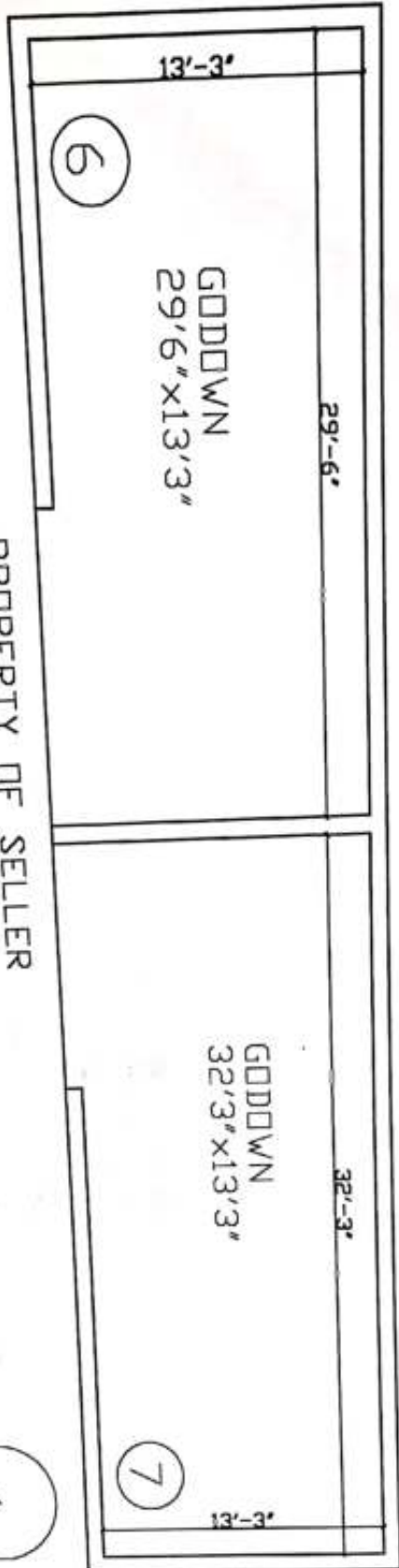
....12

Gudha Ravi



-12-

PROPERTY OF
NAVA HOUSE



PROPERTY OF SELLER

PROPERTY OF BHARAT MANDIR

KALI MANDIR

PROPERTY: 10/17, GHAT ROAD, RISHIKESH.
GODDOWN: FIRST FLOOR (GODDOWN NO. 6 & 7)
FLOOR AREA: 830.25 SQ.FT. = 92.25 SQ.YD. = 77.16 SQ.MT.

BUYER:

MR. ASHOK KUMAR BHATIA S/D. JAMAN LAL BHATIA & MRS. INDRA RANI W/D.
MR. ASHOK BHATIA, R/D. 240, AVAS VIKAS COLONY, VEERBHADRA MARG, RKSH.

SELLER:

SHREE RAM GOEL S/D. SH. HARVANSI LAL GOEL R/D. 104/41, DEHRADUN ROAD, RKSH.
Shree Ram Goel

SIGN.

ARCHITECT'S SIGN.

CoA Regd. No. CA99125314

Arch. Vishal Bindal
BArch, MCA.

Handwritten notes in the top right corner, including "L. No. 111" and other illegible scribbles.

प्राप्त की गयी कि 5005.40.85 कागजी कागज पर प्रकाशित है और प्रकाशित 58.04.3003 को प्रकाशित किया है।

29/10

पहली न. 1 प्रकाशित 396
ए.डी. का न. 1 प्रकाशित 407/418
नं. 6038 / प्रकाशित 226
नं. 6039 / प्रकाशित 28/04/03

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in black ink at the bottom left.

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश ।

संख्या / 69 / ज0लि0(पा0वा0स0प्र0प0)-010 दिनांक : 07 अक्टूबर - 2010

पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र

आवेदिका श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी स्व0 अशोक कुमार भाटिया नि0-241 आवास विकास कालोनी ऋषिकेश जिला देहरादून द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30-07-2010 पर तहसीलदार ऋषिकेश से जांच कराई गई । तहसीलदार ऋषिकेश द्वारा जांच आख्या 06-10-2010 के अनुसार मृतक अशोक कुमार भाटिया की मृत्यु दिनांक 26-04-2004 को हो चुकी है । मृतक पारिवारिक सदस्य निम्नानुसार तस्दीक किये जाते हैं ।

क्रमांक	सदस्यो के नाम	पिता/पति/पत्नी	उम्र	मृतक से सम्बन्ध
1	2	3	4	5
1	श्रीमती इन्द्रा देवी	अशोक कुमार भाटिया	45 वर्ष	पत्नी
2	सन्नी भाटिया	— " —	26 वर्ष	पुत्र
3	प्रिन्स भाटिया	— " —	24 वर्ष	पुत्र
4	कु0विम्मी भाटिया	— " —	24 वर्ष	पुत्री

उक्त प्रमाण पत्र तहसीलदार, ऋषिकेश की आख्या दिनांक 06-10-2010 के अनुसार निर्गत किया गया है ।



उप जिलाधिकारी,
१/ ऋषिकेश ।